राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांकः परीक्षा–तृतीय/पु.मू./2023/ 1911 दिनांकः 1-5-23

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा–निर्देश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2023 उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र निम्नानुसार भरे जायेंगेः–

1. समस्त स्नातक (पास/ऑनर्स कोर्स), स्नातकोत्तर एवं सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र **वेबसाईट www.univraj.org** द्वारा भरे जायेंगे।
2. **शुल्कः–** उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु, शुल्क रूपये 580/–प्रति प्रश्न पत्र उत्तरपुस्तिका निर्धारित है, जो चालान पर अंकित होगा।
3. **अन्तिम तिथिः–** विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस तक ही उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् संबंधित परीक्षा की वेबसाईट स्वतः बन्द हो जायेगी।
4. **आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की प्रक्रियाः–** परीक्षार्थियों का निर्धारित परीक्षा शुल्क ICICI BANK के माध्यम से जमा होगा। शुल्क एवं आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट **www.univraj.org** पर Visit कर अपनी कक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन पत्र मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक से भरेंगे।

(ब) परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क ICICI BANK में **क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं बैंकिग के माध्यम से जमा करवा सकते है,** तत्पश्चात आवेदन पत्र की दो प्रतियो में प्रिंट प्राप्त कर लें। आवेदन फार्म की दोनो प्रतियां एवं शुल्क जमा की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

(स) एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नही होगा।

नोटः– सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात परीक्षार्थी आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को अपने पास सुरक्षित रखे तथा विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के नियम

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए परीक्षार्थी को ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. एक अथवा एक से अधिक प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 580/– रूपये प्रति उत्तरपुस्तिका ऑनलाईन जमा कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर/मनी ऑर्डर/चैक/कैश स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. परीक्षार्थी स्वयं की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति ही प्राप्त कर सकता है। स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति नहीं दी जायेगी।
4. पुनर्मूल्यांकन कराने वाले परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित तिथि से 15 दिवस के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
5. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि** के पश्चात् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही पुनर्मूल्यांकन कराने वाले परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही प्रदान की जायेगी।

कृ.प.उ.

6. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को उत्तर–पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही दी जाएगी।
7. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिए गए पते पर डाक द्वारा अथवा ई–मेल पर भेजी जायेगी। यदि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत रूप से अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मूल प्रवेश पत्र साथ लाना होगा या प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आईडी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
8. परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई उत्तरपुस्तिका के सम्बन्ध में परीक्षार्थी की किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट व गलत जानकारी देने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। गलत जानकारी देने की स्थिति में परीक्षार्थी पर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

परीक्षा नियंत्रक